

(Authoritative English Text of this Department Notification No. FFE-B-F(6)11/2005-II,  
Dated 7<sup>th</sup> June, 2013 as required under Article 348(3) of the Constitution of India)

**GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH  
DEPARTMENT OF FORESTS**

No. FFE-B-F(6)-11/2005-II/Shilli

Dated Shimla-2, the 7<sup>th</sup> June, 2013

**NOTIFICATION**

Whereas a Notification under Section 26A of the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972) was issued by the Government vide Notification No. FFE-B-F(6)24/99 dated 23.10.99 to declare **Shilli as Wildlife Sanctuary** comprising an area of 2.00 Sq.Km;

And whereas, the matter with regard to rationalization of Wildlife Sanctuaries and National Parks in Himachal Pradesh was under consideration of the Hon'ble Supreme Court in IA No. 139/2010 in Writ Petition Civil No. 337 of 1995 titled Centre for Environmental Law, WWF-I Versus Union of India & Others;

And whereas, in pursuance to the Hon'ble Supreme Court order dated 7<sup>th</sup> May 2010, the State Government issued intention Notifications under Section 18 of the Wildlife (Protection) Act, 1972, in respect of the Wildlife Sanctuaries and National Parks for which rationalization had been proposed;

And whereas, the Hon'ble Supreme Court vide order dated 05/08/2011, further directed the State to follow the procedure laid down under Section 18 to 26A and 35 of the Wildlife (Protection) Act, 1972 before issuing final Notifications under Section 26A of the Wildlife (Protection) Act, 1972, which was duly followed;

And whereas, the Hon'ble Supreme Court vide order dated 01/02/2013 passed in IA No. 155 (earlier IA No. 139/2010), has permitted the State Government to issue final Notifications under Sections 26A, 35(4) & 36A of the Wildlife (Protection) Act, 1972 with regard to the proposed rationalization of boundaries of Wildlife Sanctuaries and National Parks in Himachal Pradesh;

And whereas, as a consequence of rationalization of boundaries of Shilli Wildlife Sanctuary out of actual ground area of 2.14 sq. km, 0.65 sq. km area (comprising of 7 villages namely Gahalan, Bajrol, Changer, Shilli, Shalakna, Chokhla and Malaun) is hereby denotified. Further the remaining area of 1.49 sq. km is to be converted into a Conservation Reserve;

Now, therefore, the Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers vested in her under Section 36A of the Act ibid is pleased to declare the remaining area of 1.49 sq. kms of Shilly Wildlife Sanctuary as '**Shilli Conservation Reserve**' with immediate effect, for the purpose of protecting, propagating and developing wildlife and its environment;

The limits of the Shilli Conservation Reserve shall be as under:

Sr. No.	Name of Conservation Reserve.	Constituents i) District ii) Forest Division	Boundaries of Shilli Conservation Reserve
1.	<b>Shilli Conservation Reserve</b>	i) Solan ii) Shimla (WL) Division	<p><b>NORTH:</b> From Shalakna and Shilli villages outer land limits across the old Bridge Path to Rajgarh, lands of village Chokhla, Bajlog, Manun and Dadogh up to Jhano Khad.</p> <p><b>EAST:</b> From Jhano Khad along limits of land of villages, Manun and Maltiwai dehat upto point 1921 mtr.</p> <p><b>SOUTH:</b> From point 1921 mtr. on the ridge starting from Khanog Tibba upto village Matual.</p> <p><b>WEST:</b> From village Matual land limits via outer limits of Bajrol and Changer village upto Shalakna cultivation.</p> <p>Boundary as per scale 1:15000</p>

This area is situated within the Geo-coordinates **North** Lat.30°55'02"N & Long.77°07'13"E **East** Lat.30°54'47"N & Long.77°08'15"E, **South** Lat.30°54'13"N & Long.77°07'32"E **West** Lat.30°54'36"N & Long.77°06'56"E which falls on Survey of India topo sheet No. 53F/1 on scale 1:50,000.

**Area of Shilli Conservation Reserve=1.49 sq. km.**


By Order

Principal Secretary (Forests) to the  
Government of Himachal Pradesh.

Endst. No As above

Dated Shimla-2 the 7<sup>th</sup> June, 2013

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla-2.
2. All the Divisional Commissioners, Shimla, Mandi & Dharamshala, H.P.
3. All the Heads of Departments of H.P.
4. The Principal Chief Conservator of Forests, H.P. Shimla-1
5. The Principal Chief Conservator of Forests, (Wildlife) H.P. Shimla-1.
6. All CCFs / DFOs (Wildlife) in H.P.
7. All the Deputy Commissioners in H.P.
8. All the CCFs/CFs /DFOs in H.P.
9. ALR-cum- Under Secretary Law to the Government of Himachal Pradesh.
10. The Commissioner, Municipal Corporation, Shimla.
11. The Controller H.P. Printing & Stationary Department Shimla-5 for publication in the Raj-Patra (Extra-ordinary) Five Copies of the Raj-Patra be sent to this Department.
12. Guard File.

  
Under Secretary (Forests) to the  
Government of Himachal Pradesh.

**हिमाचल प्रदेश सरकार  
वन विभाग**

संख्या: एफ.एफ.ई.-बी-एफ.(6)-11/2005-II शिल्ली तारीख शिमला-2, 7 जून, 2013

**अधिसूचना**

सरकार ने वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 26क के अधीन अधिसूचना संख्या: एफ.एफ.-बी-एफ(6)-24/99 तारीख 23-10-1999 द्वारा 2.00 वर्ग किलोमीटर से समाविष्ट क्षेत्र शिल्ली को वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में घोषित करने की अधिसूचना जारी की थी;

और हिमाचल प्रदेश में वन्य जीव अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय पार्कों के युक्तिकरण की बाबत मामला आईए न० 139/2010 इन रिट पिटिशन सिविल न० 337 ऑफ 1995 नामतः सेन्टर फॉर एनवारनमेंटल लॉ, डबल्यू डबल्यू एफ-I बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एण्ड अदजर्ज में माननीय उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन था;

और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश तारीख 7 मई, 2010 के अनुसरण में राज्य सरकार ने वन्य जीव अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय पार्कों, जिनके लिए युक्तिकरण प्रस्तावित किया गया था, की बाबत वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 18 के अधीन आशय अधिसूचनाएं जारी की थी;

और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश तारीख 5-8-2011 द्वारा, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 26क के अधीन अन्तिम अधिसूचनाएं जारी करने से पूर्व वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 18 से 26क और 35 के अधीन अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण करने के लिए भी राज्य सरकार को निर्देश दिए गए, जिस प्रक्रिया का सम्यक् रूप से अनुसरण किया गया था;

और माननीय उच्चतम न्यायालय ने आईए न० 155 (पहले आईए न० 139/2010) में पारित आदेश तारीख 1-2-2013 द्वारा, राज्य सरकार को हिमाचल प्रदेश में वन्य जीव अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय पार्कों की सीमाओं के प्रस्तावित युक्तिकरण की बाबत वन्य

जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 26क, 35(4) एवं 36क के अधीन अन्तिम अधिसूचनाएं जारी करने को अनुमत किया है;

और शिल्ली वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमाओं के युक्तिकरण के परिणामस्वरूप मौके पर भू-क्षेत्र 2.14 वर्ग किलोमीटर में से, 0.65 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र (7 गांवों नामतः गहलान, बजरोल, चंगर, शिल्ली, शलकना, चोखला और मलाउन से समाविष्ट) को एतद्वारा अधिसूचना में से निकाल दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, 1.49 वर्ग किलोमीटर के शेष क्षेत्र को किसी संरक्षण आरक्षित क्षेत्र में परिवर्तित किया जाना है;

अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 36क के अधीन उनमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वन्य जीव और इसके पर्यावरण के संरक्षण, प्रसारण या विकसित करने के प्रयोजन के लिए, 1.49 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को तुरन्त प्रभाव से शिल्ली संरक्षण आरक्षित क्षेत्र घोषित करती हैं।

शिल्ली संरक्षण आरक्षित क्षेत्र की सीमाएं निम्न प्रकार से होंगी:

क्रम संख्या	संरक्षण आरक्षित क्षेत्र का नाम	घटक i) जिला ii) वन मण्डल	शिल्ली संरक्षण आरक्षित क्षेत्र की सीमाएं
1	शिल्ली	ii) सोलन ii) शिमला (वन्य जीव) मण्डल	<p>उत्तर : सलाकना और शिल्ली गांव की निजी भूमि की बाहरी सीमा के साथ-साथ राजगढ़ को जाने वाल रास्ते पर पुराने पुल से होती हुई चौखला, बजलोग, मनून और ददोह के साथ-साथ होती हुई झानों खड तक।</p> <p>पूर्व: झानों खड से मनून और माल्टीवाल गांव की बाहरी सीमा से होती हुई बिन्दु 1921 मी0 तक।</p> <p>दक्षिण : धार पर बिन्दु 1921 मी0 से आरम्भ होती हुई खनोग टिब्बा से मटौल गांव तक।</p> <p>पश्चिम: मटौल गांव से बजरोल व चांगर गांव की निजी भूमि की बाहरी सीमा से होती हुई सलाकना गांव की निजी भूमि तक।</p>

			सीमा पैमाना 1:15,000 के अनुसार
--	--	--	--------------------------------

इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति:- उत्तर अक्षांश 30° 55' 02" उत्तर और देशान्तर 77° 07' 13" पूर्व। पूर्व अक्षांश 30° 54' 47" उत्तर और देशान्तर 77° 08' 15" पूर्व। दक्षिण अक्षांश 30° 54' 13" उत्तर और देशान्तर 77° 07' 32" पूर्व और पश्चिम अक्षांश 30° 54' 36" उत्तर और देशान्तर 77° 06' 56" पूर्व। यह क्षेत्र भारतीय सर्वेक्षण विभाग की टोपो शीट नम्बर 53एफ/1, (पैमाना 1:50,000) पर दर्शाया गया है।

क्षेत्रफल: 1.49 वर्ग कि०मी०

आदेश द्वारा,

प्रधान सचिव (वन)  
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन संख्या: यथोपरि।

दिनांक शिमला-2, 7 जून 2013

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश-शिमला-2
2. सभी मण्डलायुक्त, शिमला, मण्डी व धर्मशाला मण्डल हिमाचल प्रदेश।
3. समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश।
4. प्रधान मुख्य अरण्यपाल हिमाचल प्रदेश शिमला-1
5. प्रधान मुख्य अरण्यपाल (वन्य प्राणी) हिमाचल प्रदेश-शिमला-1
6. समस्त मुख्य अरण्यपाल/ वनमण्डलाधिकारी (वन्य प्राणी) हिमाचल प्रदेश।
7. समस्त जिलाधीश, हिमाचल प्रदेश।
8. समस्त मुख्य अरण्यपाल/अरण्यपाल/वनमण्डलाधिकारी, (क्षेत्रीय) हिमाचल प्रदेश।
9. सहायक विधि परामर्शी एवं अवर सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
10. आयुक्त नगर निगम शिमला हिमाचल प्रदेश।
11. नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला-5 को राजपत्र में प्रकाशित करने हेतु। कृपया इसकी पांच अतिरिक्त प्रतियाँ छापी जावें।
12. गार्ड फाइल।

अवर सचिव (वन)  
हिमाचल प्रदेश सरकार।